झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–5/न०वि०/विविध–46/2018–.....4940 **राँची, दिनांक–**...08/10/18

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा केन्द्रीय योजना/राज्य योजना/वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से राज्य के शहरी क्षेत्र में पार्क का निर्माण/झील/तालाब/नदियों के संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण की योजना कार्यान्वित की जाती है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में water conservation, पर्यावरण, वर्षा जल का पहुँच सुनिश्चित हो। साथ ही योजना क्षेत्र की सुंदरता बाहर से भी द्रष्टव्य हो। इस आशय का आदेश विभागीय संकल्प संख्या–3437, दि०–04.07.18 द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

2. उक्त प्रकार के योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता लाने के दृष्टि से एक guidelines का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। इस आशय के guideline के निर्माण हेतु निम्न रूप से एक समिति का गठन किया जाता है :–

i.	निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण	–	अध्यक्ष
ii.	मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग	–	सदस्य
iii.	महाप्रबंधक, जुडको लि०, राँची	–	सदस्य
iv.	अधीक्षण अभियंता, राँची नगर निगम	–	सदस्य
v.	राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लि0 के प्रतिनिधि	–	सदस्य

3. समिति अक्तूबर, 2018 तक उक्त guidelines का निर्माण सुनिश्चित करेगी।
4. समिति के गठन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– ***आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।***

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–**5/न०वि०/विविध–46/2018–**.....4940..... राँची, दिनांक–.....08/10/18.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–**5/न०वि०/विविध–46/2018–**.....4940..... राँची, दिनांक.....08/10/18.....

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/अधीक्षण अभियंता, राँची नगर निगम/महाप्रबंधक, जुडको लि०, राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लि0/श्री कुणाल, सी.एम.एम., (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।